

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103001802016

दांडिक प्रकरण क.-620 / 16

संस्थापित दिनांक-24.12.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>
विरुद्ध
01-मुकेश पुत्र जयराम कुशवाह उम्र 28 साल निवासी गोधन, चंदेरी। 02-दिनेश पुत्र जयराम कुशवाह उम्र 32 साल निवासी गोधन। <div>.....आरोपीगण</div>
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री पठान अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 11.03.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279, 337 एवं 3/181, 5/180 एमव्ही एक्ट के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी मुकेश को भादवि की धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय मुकेश के संबंध में भादवि की धारा 279 एवं 3/181 एमव्ही एक्ट एवं दिनेश के संबंध में 5/180 एमव्ही एक्ट के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी हरिशंकर ने दिनांक 30.11.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह शाम को गोधन सवारी छोड़कर टैक्सी से चंदेरी आ रहा था कि शाम के 7 बजे के करीब जैसे ही उसका टैक्सी पिछोर चंदेरी रोड सिंहपुर गांव के पास पहुंचा कि सामने चंदेरी तरफ से हीरो डीलक्स मोटरसाईकिल का चालक मुकेश कुशवाह निवासी ग्राम गोधन मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी टैक्सी में टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आईं। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 562/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 279, 337 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी मुकेश के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 279, 337 एवं 3/181 एमव्ही एक्ट एवं आरोपी दिनेश के विरुद्ध 5/180 एमव्ही एक्ट के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी मुकेश ने दिनांक 30.11.16 को समय 19.00 बजे चंदेरी पिछोर रोड सिंहपुर गांव के पास चंदेरी पर वाहन मोटरसाईकिल एमपी 67 एमसी 8477 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी मुकेश ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना लायसेंस प्राप्त किए सार्वजनिक मार्ग पर चालन किया ?
3. क्या आरोपी दिनेश उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन के पंजीकृत स्वामी होते हुए बिना लायसेंस धारक व्यक्ति मुकेश कुशवाह को यान चलाने की अनुज्ञा दी थी ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 हरिशंकर की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 हरिशंकर ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को किसी अज्ञात मोटरसाईकिल चालक ने उसकी टैक्सी में टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को प्रकरण के आरोपी द्वारा तेजी व लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल चालित कर उसकी टैक्सी में टक्कर मारी गई थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत

साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी वाहन को बिना लायसेंस के चालित कर रहा था तथा ऐसी दशा में जबकि यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी द्वारा वाहन को चालित किया गया तो यह निष्कर्ष देना कि आरोपी दिनेश द्वारा बिना लायसेंस धारक को वाहन चालित करने दिया, भी प्रमाणित नहीं होता।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी मुकेश को भा.द.वि. की धारा 279 एवं 3/181 एमव्ही एक्ट एवं आरोपी दिनेश को 5/180 एमव्ही एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल एमपी 67 एमसी 8477 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)